(Dec 2021). Analytical study of rising juvenile delinquents in India
International Journal of Economic Perspectives,*15*(1), 522-533
Retrieved from https://ijeponline.org/index.php/journal

भारत में बढ़ते बाल अपराधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ० शिवकान्त शर्मा प्रोफेसर सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं, राजस्थान

डॉ० जयनारायण सहायक प्रोफेसर प्रतिभा महिला शिक्षण सांगानेर जयपुर

डॉ० ज्योति सिंगल सिंघानिया विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं, राजस्थान

शोध छात्रा .**नीरू**

सारांश

भारत में बाल अपराध की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है वह रिपोर्ट भी है कि शहर में वृद्धि दर से ज्यादा चिंतित और चिंता का समय तेजी से बढ़ता जीवन परिवेश है जो एक अबोध बालों को कहीं ना कहीं बनाने का विशेष कारण हुए तो आने वाला भविष्य काफी होगा प्रस्तुत शोध पर आधारित है

मूल शब्द– समायोजन, नैतिक मूल्य, बाल अपराध

प्रस्तावना

भारत में नाबालिकों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बाल मन पर अपराध ने कब्जा जमा लिया है। दिल्ली में 35 फीसदी की दर से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। नाबालिग दुष्कर्म, यौन शोषण हत्या, छेड़छाड़ डकैती और चोरी में बालिग अपराधियों से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में दिल्ली, मुंबई सहित देश के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6.645 मामले सामने आए। इनमें केवल दिल्ली में 2.368 मामले दर्ज हुए। दिल्ली में 51 नाबालिगों पर हत्या और 81 पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। जबकि 143 नाबालिगों पर दुष्कर्म और 35 नाबालिगों के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले दर्ज हुए। सामूहिक दुष्कर्म के दो मामलों में बाल अपराधियों की संलिप्तता सामने आई। इसके अलावा छेड़छाड़ के 138 और यौन शोषण के 66 मामले भी नाबालिगों पर दर्ज किए गए हैं। डकैती की 370 और चोरी की 766 वारदात को नाबालिगों ने अंजाम दिया। मनोवैज्ञानिक इसे एक खतरे के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि भौतिकवादी चमक–दमक और मीडिया का दुष्प्रभाव बचपन पर हावी हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब और खिलौने होने चाहिए, उस अवस्था में किशोर हथियार उठाने के साथ ही दूसरे की अस्मत से खेल रहे हैं। भारत में बालकों के खिलाफ 2003 में जहाँ 33,320 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़कर 42,566 हो गए। इनमें सोलह से अठारह साल आयु के 31,364, बारह से सोलह साल की आयु के 10,534 और बारह साल से कम आयु के 668 बच्चे गिरफ्तार हुए थे। बारह साल वाले बच्चों में से एक दर्जन को हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। गंभीर और शर्मनाक तथ्य यह है कि पिछले दस सालों में किशोरों द्वारा बलात्कारों के मामलों में तीन सौ प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। 2003 में किशोरों द्वारा बलात्कार के 535 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2004 में बढ़कर 2,144 हो गए।

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

किशोरों द्वारा अपराध के मामलों में बढ़ोत्तरी के बाद दिल्ली सरकार जघन्य अपराधों में सजा की न्यूनतम उम्र सीमा पंद्रह साल करने की माँग कर रही है, जबकि लोकसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2014 में पारित किया गया है, जिसमें सजा देने की उम्र सीमा अठारह से घटाकर सोलह साल कर दी गई है। भले ही यह विधेयक अभी कानून नहीं बन सका है लेकिन नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है उससे इस विधेयक को कानून बनाने की माँग तेज रही हो। एनसीआरबी के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए बलात्कारों की संख्या 2012 के मुकाबले 2014 में लगबभग दोगुना हो गई। 2014 में दर्ज बलात्कार के 2,144 मामलों में से 1488 में बलात्कारियों की उम्र सोलह से अठारह साल के बीच थी, जबकि 2012 में 1316 किशोरों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि भारत में अठारह साल से कम उम्र का अपराधी नाबालिग माना जाता है और उनके खिलाफ आरोप की सुनवाई केवल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होती है। सजा के नाम पर उन्हें अधिकतम तीन साल बाल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई जाती है जबकि बदलते परिवेश में किशोरों द्वारा लगातार गंभीर अपराध किए जा रहे हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से–उन कार्यों को बाल–अपराध माना जायेगा जो एक समूह अथवा समाज को हानि पहुँचाये एवं जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाये। प्रत्येक समाज में आदर्श प्रतिमान व मूल्यों की तथा वैधानिक नियमों की एक व्यवस्था होती है। जबकि किसी व्यक्ति द्वारा मान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता तब अपराध की समस्या पैदा होती है, फिर चाहे वह अपराध हो या बाल–अपराध।

गिलिन व गिलिन के अनुसार– समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल–अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए यह उसके द्वारा निषिद्ध होता है।

डॉ० हेकरवाला के अनुसार: सामाजिक दृष्टिकोण से बाल अपराध का तात्पर्य बच्चे अथवा किशोर के ऐसे व्यवहार से है, जो मानवीय संबंधों के क्रम में जिसे समाज अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक समझता हो, बाधा डालता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण: मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बाल अपराध को एक व्यक्तिगत समस्या मानता है। मनोविज्ञान के अनुसार इसे बालक के आचरण का अध्ययन करके ही जाना जा सकता है।

फ्राईड लैडन: जब किसी बालक के व्यक्तित्व में ऐसी अभिवृत्ति विकसित होती है, जो उसे सामाजिक नियमों व कानूनों को तोड़ने की प्रेरणा देती है, तब उसे बाल अपराधी कहेंगे।

जेम्स के अनुसार: बाल अपराधी का तात्पर्य उस बच्चे से है जो आदत के रूप में अपनी निराशाओं को समाज विरोधी कार्यों अथवा हिंसा के रूप में प्रदर्शित करता है।

बेकर के अनुसार: बाल अपराध का तात्पर्य ऐसे हिंसात्मक व्यवहार से है जिसमें एक बालक द्वारा राज्य व नगर के कानूनों का उल्लंघन होता है। किसी राष्ट्र के लिए बच्चे एक महत्त्वपूर्ण साधन हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। आज का बच्चा कल का भावी नागरिक बनेगा या

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

बच्चा अपने बाप का बाप है आदि न जाने ऐसे कितने ही जुमले हैं, जो राष्ट्र के लिए बच्चों की महत्ता दर्शाते हैं पर वास्तविकता यह है कि सभी बच्चे इन जुमलों में नहीं बैठते। समाज के बच्चों का वर्ग ऐसा भी है जिसमें वास्तव में बच्चों में राष्ट्र के कर्णधाराओं के लक्षण नहीं दिखाई देते है व राष्ट्र के भविष्य को नहीं देख रहे हो। राष्ट्र को विघटित करने के बाद एक समस्या को जिसे आज बाल अपराध कहा जाता है। बच्चों में नटखट भाविक र्सावभौमिक एवं प्राकृतिक तत्व है जो कि एक निश्चित आयु तक के बच्चों की सामान्य गतिविधि है। यह नटखट 1 वर्षों में खटकता नहीं है। अभी तू कई मायनों में आनंद कर रहेक होते हैं जिन्हें बाल चुनाव के रूप में देखा जाता है। हालाँकि इस नटखटपन का कोई मानदंड नहीं है। कृष्ण के द्वारा मरीजों को परेशान करना आधी सी नटखट परी का उदाहरण है। जब यही नटखटपन का आयु सीमा के ऊपर की आयु वाले बालकों के द्वारा बार–बार या कुछ गंभीरता के साथ देखने को मिलता है। इसको कार्य करने वाले वालाउद्दंड बालक कहते हैं लेकिन जिसे परिवार तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा सुधारा जा सकता है लेकिन जब यही उद्दंडता एक आसदत के रूप में विकसित होकर उसके जेब के विकास का अंग बन सामाजिक व्यवस्था के नियम व संचालन एवं स्वयं उस बालक या अन्य लोगों की नैतिकता व स्वास्थ्य में घातक सिद्ध होती है तथा वैज्ञानिक माध्यम से उस पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है तो इसे बाल अपराध कहते हैं और इसे कार्य करने वाला बालक बाल अपराध अपराधी कहते हैं। बाल अपराध समाज की शब्दावली है पर यह कोई नवीन अवधारणा नहीं है। हमें पौराणिक ग्रंथ इसकी प्राचीनता का अनुभव कराते हैं। बाल्य काल में कौरवों द्वारा भीम को जहर देकर उसको बेहोश हो जाने पर उसे जल में प्रवाहित कर देना बाल्यकाल में ही एकलव्य द्वारा निरपराध गुणों की हत्या करना कृष्ण द्वारा उनसे छेड़छाड़, माखन चोरी करना आदि को यद्यपि बाल लीला का स्वरूप प्रदान किया गया। तत्कालीन युग में माखन घड़ी की प्रचुरता होने के कारण कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी तथा वर्तमान युग में यह कृत्य बाल लीला नहीं बल्कि बाल अपराध की श्रेणी में आता है। इसी समाज के सामाजिक नैतिक मान्यतायें देश काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है तो अपराध की संकल्पना भी बदलती रहती है। उदाहरण प्राचीन मौलिक नियम ऐसे पुत्र को जो अपने माता–पिता का कहना नहीं मानता था या अनादार करता था उसे मौत की सजा देने के पक्ष में था। सन् 1883 में इंग्लैंड में एक बच्चे को मात्र दो भैंस की चित्रकारी चुराने पर मौत की सजा दी गई थी, उस समय के कानून निर्माता इसेआवश्यक मानते थे पर वर्तमान में कानून निर्माता बच्चों को दंड देने के लाय उनके सुधार एवं पुनर्वास के पक्षधर हैं। एक सामाजिक समस्या के रूप में देश की समस्या नहीं है। अभी तो विश्व के समस्त देश की गंभीरता का अनुभव करते हैं। सभी देशों में ऐसे ालक आवश्यक रूप से पाये जाते हैं।

नैतिक मूल्य

नैतिक मूल्य ;डवतंस टंसनमेद्ध को आदर्शवादी तत्वों का समूह माना जाता है अर्थात् नैतिक मूल्य वह है जो व्यक्ति के भावात्मक पहलुओं में निवास करती है। व्यक्ति में निहित आदर्श विचार, आदर्श

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

आचरण एवं संस्कृति व सभ्यता के विभिन्न तत्वों को एकीकृत कर इसका वर्णन किया जाता है। नैतिक मूल्यों को सामान्यतः आदर्श संस्कारों के रूप में देखा जाता है अर्थात् अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माँ–बाप की सेवा करना, गुरूजी की आज्ञा का पालन करना, पूजा–पाठ करना, अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी से निवर्हन करना आदि। इन सभी को नैतिक मूल्यों के रूप में ही देखा जाता है। विद्यालय में प्रायः छात्रों को ईमानदारी, देश–भक्ति, लालच बुरी बला जैसी अनेकों कहानियाँ सुनाई जाती हैं ताकि उनमें ऐसे भाव उत्पन्न हो और उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सकें। इसके विकास में छात्र आदर्श नागरिक बनते हैं एवं राष्ट्र के विकास एवं उसकी पहचान बनाने का कार्य करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मूल्य या तत्व उसे समाज के साथ समायोजन करने में उसकी सहायता करते हैं एवं उसे गुणवान और आज्ञाकारी बनाते हैं।

बाल अपराध की अवधारणा–

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बाल अपराध के लिए आयु को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता क्योंकि व्यक्ति की मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता सदा ही आयु से प्रभावित नहीं होती। अतः कुछ विद्वान बालक द्वारा प्रकट व्यवहार प्रवृत्ति को बाल अपराध के लिए आधार मानते हैं, जैसे आवारागर्दी करना, स्कूल से अनुपस्थित रहना, माता–पिता एवं संरक्षकों आज्ञा न मानना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, चरित्रहीन व्यक्ति से संपर्क रखना आदि किन्तु जब तक कोई वैध तरीका सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक आयु को ही बाल अपराध का निर्धारक आधार माना जायेगा। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह व्यक्ति है जिसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है और इसलिए वह उसके द्वारा निषिद्ध होता है। इस प्रकार बाल अपराध में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालकों के ऐसे व्यवहार का जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकार होते हैं, ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। रॉबिन्सन के अनुसार आवारागर्दी, भीख माँगना, निरूद्देश्य इधर–उधर घूमना, उदण्डता बाल अपराधी के लक्षण हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वालाएवं समाज विरोधी आचरण करने वाला बालक बाल अपराधी होता है। जैसा कि न्यूमेयर का कहना है कि बाल अपराधी एक निश्चित आयु से कम वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय अध्ययनों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि मनुष्य में अपराधवृत्तियों का जन्म बचपन में ही हो जाता इस दृष्टि से किशोर अपराध (जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी) को एक महत्त्वपूर्ण कानूनी, सामाजिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है। किशोर अपराधों का स्वरूप सामान्य अपराधों से भिन्न होता है। कानूनी शब्दावली में देश के निर्धारित कानूनों के विरूद्ध आचरण करना अपराध है, किन्तु किशोर अपराध समाज शास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। किशोर अवस्था के बालकों द्वारा किये गए वे सभी व्यवहार जो कानूनी ही नहीं वरन् किसी भी दृष्टि से समाज तथा व्यक्ति के लिए अहितकर हो, किशोर अपराध की सीमा

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

में आते हैं। यथा..... विद्यालय से भागना कानूनी दृष्टि से अपराध नहीं है, किन्तु सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हानिकारक है। यह एक ओर तो सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों से भागना सीखाती है और दूसरी ओर बालक को उचित कार्य से हटाकर अनुचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार किशोर अपराध का क्षेत्र अधिक व्यापक है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है; अतः अपने उचित या अनुचित व्यवहार के लिए किशोर बालक स्वयं नहीं वरन् उसका वातावरण उत्तरदायी होता है। इस कारण अनेक देशों में किशोर अपराधों का अलग न्यायाविधान है; उनके न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधिकारी बाल मनोविज्ञान के जानकार होते हैं। अपराधी बच्चों के प्रति सहानुभूति, प्रेम, दया और संवेदना का व्यवहार किया जाता है। भारत में भी कुछ राज्यों में बाल न्यायालयों और बाल सुधार गृहों की स्थापना की गई है। किशोर बालक अपराध क्यों करते हैं, इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। मानव शास्त्रियों (एंथ्रोपालोजिस्ट्स) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अपराध का सम्बन्ध वंशानुक्रम, शारीरिक बनावट एवं जातिगत विशेषताओं से है। इसी कारण अपराधी जाति (क्रिमिनल ट्राइब्ज़) के सभी व्यक्ति एक ही जातिगत विशेषताओं और एक सी शारीरिक बनावट के होते हैं तथा वे एक सा अपराध करते हैं। शरीर मनोवैज्ञानिकों का मत भी इसी से मिलता जुलता है। उनके मतानुसार विशेष प्रकार की शारीरिक बनावट और प्रक्रिया वाला व्यक्ति विशेष प्रकार का अपराध करेगा किन्तु मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है कि अपराध का सम्बन्ध न तो उत्तराधिकार से होता है और न शारीरिक बनावट से; उत्तराधिकार में केवल शारीरिक विशेषतायें ही प्राप्त होती हैं, उनका व्यक्ति की भावनाओं, आकांक्षाओं, प्रवृत्तियों एवं बुद्धि से सीधा सम्बन्ध नहीं होता। समाज शास्त्रियों का कथन है कि अपराध का जन्मदाता दूषित वातावरण, यथा.....गरीबी, उजड़े परिवार, अपराधी साथी आदि हैं। किन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिक शोधों द्वारा यह जाना गया है कि एक ही वातावरण ही नहीं वरन् एक ही परिवार में पले, एक ही माता पिता के बच्चों में से एक आध ही अपराधी होता है, सभी नहीं। यदि अपराध का जन्मदाता वातावरण होता है तो अन्य भाई बहनों को भी अपराधी बनना चाहिए। आधुनिक मनोविज्ञान किशोर अपराधों का मूल मनोवैज्ञानिक स्थितियों में ढूँढ़ता है। उसके अनुसार हर बच्चे की कुछ इच्छाएँ, आकांक्षाएँ और आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हें पूरा करने का वह प्रयत्न करता है। उसके इस प्रयास में अनेक बाधाएँ आती हैं, जिन्हें वह जीतने का प्रयत्न करता है। अपने प्रयत्नों के फल से वह या तो संतुष्ट होता है या असंतुष्ट अथवा उदासीन। किन्तु उदासीनता के भाव कम ही हो पाते हैं। संतोष और असंतोष का सम्बन्ध सफलता या उपलब्धि से नहीं है वरन् संतोष आपेक्षित प्रत्यय है। निर्धन किसान अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है; किन्तु करोड़पति व्यवसायी नहीं। असंतोष दूर करने का प्रयास मानव स्वभाव है। इसे दूर करने के समाज द्वारा स्वीकृत ढंग जब असफल हो जाते हैं तब व्यक्ति ऐसा ढंग अपनाता है, जो सफल हो, भले ही वह समाज के लिए हानिकर और उसके द्वारा अस्वीकृत ही क्यों न हो। तभी वह अपराधी बन जाता है। यथा..... कोई कमजोर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होने पर अपनी कमजोरी का ध्यान करके अपनी स्थिति में संतुष्ट रह सकता है; किन्तु कक्षा का तेज विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

होने पर आत्महत्या तक कर सकता है। प्रश्न संतोष और असंतोष की मात्रा का है।

समायोजन

समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। व्यक्ति को सफल जीवन व्यतीत करने के लिए अपने वातावरण और परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं, जिनका उसे समय–समय पर सामना करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग–अलग क्षमता के अनुसार समायोजन करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं, तो कुछ हार मानकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति तनाव का शिकार बने रहते हैं। ये बातें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

बाल अपराध की दर एवं प्रकृति–

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनो दिन बढ़ती जा रही है, साथ ही इसकी प्रकृति भी जटिल होती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वतन्त्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं, इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन को पैदा किया है। कम्प्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। सन् 2000 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कुल 9,267 मामले पंजीकृत किये गये तथा स्थानीय एवं विशेष कानून के अन्तर्गत 5,154 मामले पंजीकृत किये गये। बाल अपराध की दर में विभिन्न वर्षों में उतार–चढ़ाव देखने को मिलता है। 1997 में बालकों में अपराध की दर 0.8 प्रतिशत थी, वही बढ़कर सन् 1998 में 1 प्रतिशत था। इसके पश्चात् सन् 1999–2000 में 9 प्रतिशत रही। भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत बाल अपराध की सर्वाधिक दर मध्य प्रदेश में 12,197 और महाराष्ट्र में 1,641 पायी गयी। इसी प्रकार महानगरों जैसे बम्बई, दिल्ली में भी बाल अपराध की उच्च दर पायी गयी।

समस्या का कथन–

''जयपुर व शेखावटी क्षेत्र में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का तुलनात्मक अध्ययन''

शोध के उद्देश्य–

किशोर विद्यार्थियों में समायोजन एवं नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

1. किशोर विद्यार्थियों में समायोजन एवं नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करना।

दया पेन्ट, बी (2001) ने अपने लेख में ''मूल्य शिक्षा के संकल्पनात्मक पहलुओं'' का उल्लेख किया हैं, जो कहता है कि सांस्कृति पहचान के संबंध एक घटना है, जो अंतर सांस्कृतिक आदान–प्रदान के माध्यम से उत्पन्न होने वाली अवधारण को आगे बढ़ाता हैं, विज्ञान और तकनीकी उन्नति से संभव है और आर्थिक उदारीकरण''

गिरी एसवी (2001) शिक्षा की भारतीय प्रणाली और सार्वभौमिक मानव मूल्यों के पारपरिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्य और सही आचरण को शुद्ध इरादे से पालन किया जाना चाहिए। एक धार्मिक जीवन शांति की और जाता हे अहिंसा में प्यार को अभिव्यक्ति पाई जाना चाहिए मानव मूल्यों में शिक्षा को बचपन से ही शुरू करना होगा और फिर इसे स्कूल के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

खंडेलवाल, बी.पी. (2001) ''मानव उत्कृष्टता के लिए मूल्य'' पर अपने लेख में कहा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र, जो मानव संसाधन विकास से जुड़ा हुआ है, को उभरती चुनौतियों के असर पर विचार करना और एक शैक्षिक मॉडल विकसित करना है जो उत्तरदायी और विस्तृत शिक्षा के पहलुओं

ललिता, पी। आर। (2001) ने अपने लेख ''विज्ञान के संदर्भ में वैल्यू इकल्यूकेशन'' नामक एक लेख में उल्लेख किया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण के आधार पर एक नई व्यवस्था के माध्यम से मूल्यों की खेती करके विज्ञान की शिक्षा को मानवीय बनाने की आवश्यकता महसूस की जाती है। जिम्मेदारी के साथ विज्ञान के छात्रों का उत्पादन करना आवश्यक हैं। यदि विज्ञान आत के जीवन के लिए प्रासंगिक है और भविष्य में जीवन हैं, तो विज्ञान के शिक्षकों के पास कोई विकल्प नहीं है परन्तु विज्ञान और मूल्यों के बीच संबंधों पर विचार करना है।

निगेल एसजी (2001) अपने लेख ''शिक्षा प्रबंधन और मूल्य'' नामक लेख में लिखते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वे मानव मूल्यों और व्यवहारों को विकसित करते हैं। क्योंकि मूल्य मनुष्य में कार्यरत हैं, चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हैं।

4.1.0 किशोर छात्रों में समायोजन एवं नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करने के लिए अनुपातों की गणना की गई थी। उसी के लिए डेटा को तालिका संख्या 4.1.0 में प्रस्तुत किया गया है।

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

तालिका संख्या 4.1.0

क्र०सं०	बाल अपराध	छात्राओं की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता
1.	समायोजन पक्ष	100	52.40	2.70	7.32	.01 स्तर पर सार्थक
2.	नैतिक मूल्य पक्ष	100	38.57	3.2		

कि= 250

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.1.0 से स्पष्ट है कि उपरोक्त तालिका में दिए हुए मध्यमान की ज परीक्षण से तुलना करने पर ज मान 7.32 प्राप्त हुआ, जो त्रुटि के 0.1 स्तर पर आपेक्षित मान 2.62 से अधिक है, दोनों मध्यमानों में सार्थक अन्तर है। समायोजन पक्ष विद्यार्थियों का मध्यमान 52.40 तथा नैतिक मूल्य पक्ष विद्यार्थियों का मध्यमान 38.57 है तथा इनके आधार पर गणना द्वारा क्रांतिक अनुपात मान 7.32 प्राप्त हुआ है। अतः ज का प्राप्त मान 0.1 स्तर पर ज के अपेक्षित मान से कहीं अधिक होने के कारण परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

किशोर छात्रों में समायोजन एवं नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन ज्ञात करने वाला ग्राफ 4.1.0

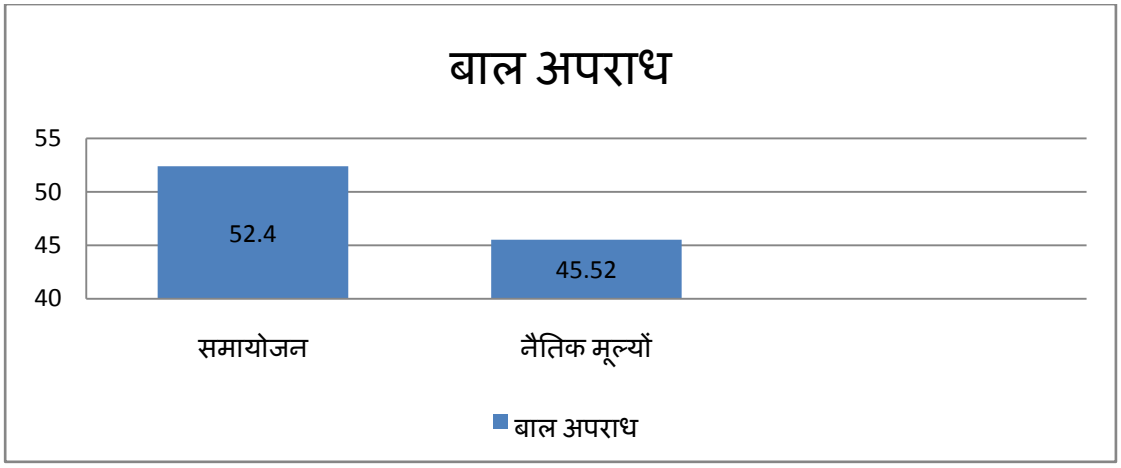

4.1.2 किशोर छात्राओं के समायोजन के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन

4.1.1 किशोर छात्रों में समायोजन पक्ष के सम्बन्ध में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन–किशोर छात्रों में समायोजन के सम्बन्ध में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करने के लिए अनुपातों की गणना की गई थी। उसी के लिए डेटा को तालिका संख्या 4.1.1 में प्रस्तुत किया गया है।

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

तालिका संख्या 4.1.1

क्र०सं०	बाल अपराध	छात्राओं की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता
1.	सामान्य छात्र	100	52.40	2.70	7.32	.01 स्तर पर सार्थक
2.	बाल अपराधी छात्र	100	47.23	3.2		

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.1.1 से स्पष्ट है कि उपरोक्त तालिका में दिए हुए मध्यमान की ज परीक्षण से तुलना करने पर ज मान 7.32 प्राप्त हुआ जो त्रुटि के 0.1 स्तर पर अपेक्षित मान 2.62 से अधिक है। दोनों मध्यमानों में सार्थक अंतर है। सामान्य छात्र विधार्थियों का मध्यमान 52.40 तथा बाल अपराधी छात्र विधार्थियों का मध्यमान 47.23 है तथा इनके आधार पर गणना द्वारा क्रांतिक अनुपात मान 7.32 प्राप्त हुआ है। अतः ज का प्राप्त मान 0.1 स्तर पर ज के अपेक्षित मान से कहीं अधिक होने के कारण परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

किशोर छात्रों में समायोजन पक्ष के सम्बन्ध में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन ज्ञात करने वाला ग्राफ 4.1.1

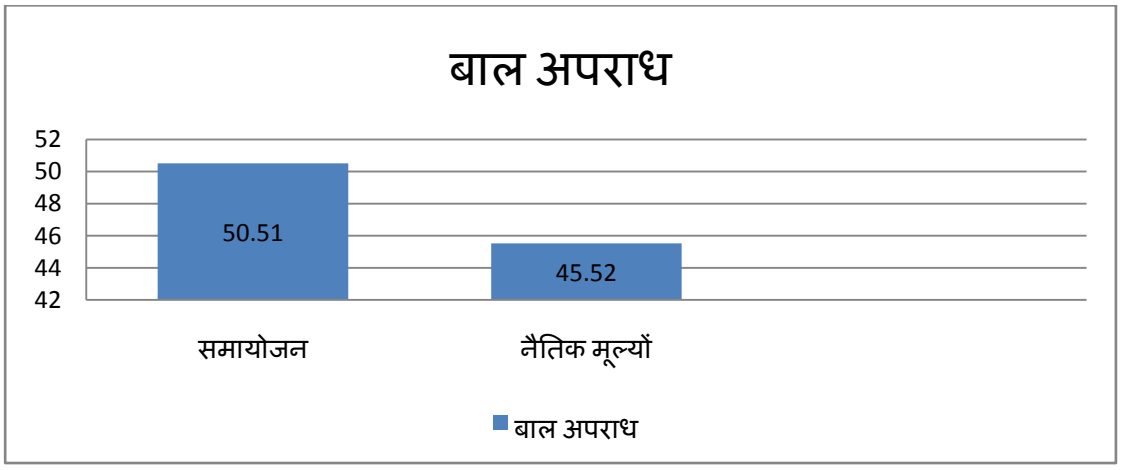

4.1.2 किशोर छात्राओं के समायोजन के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन

किशोर छात्राओं के समायोजन के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करने के लिए अनुपातों की गणना की गई थी। उसी के लिए डेटा को तालिका संख्या 4.1.2 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 4.1.2

क्र०सं०	बाल अपराध	छात्राओं की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता
1.	सामान्य छात्र	100	60.4	2.40	6.58	.01 स्तर पर सार्थक
2.	बाल अपराधी छात्र	100	55.2	3.70		

विश्लेषण

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

उपरोक्त तालिका में दिए गए मध्यमान की टी परीक्षण से तुलना करने पर ज का मान 6.58 प्राप्त हुआ जो त्रुटि के 0.01 स्तर पर अपेक्षित 2.66 से अधिक है। दोनों मध्यमानों में सार्थ अन्तर है। सामान्य छात्रों का मध्यमान 60.4 तथा अपराधी छात्रों का मध्यमान 55.2 है तथा इनके आधार पर गणना द्वारा क्रांतिक अनुपात मान 6.58 प्राप्त हुआ है। अतः ज का प्राप्त मान 0.01 स्तर पर ज के अपेक्षित मान से कहीं ज्यादा होने के कारण परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

किशोर छात्राओं के समायोजन के संदर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन ज्ञात करने वाला ग्राफ 4.1.2

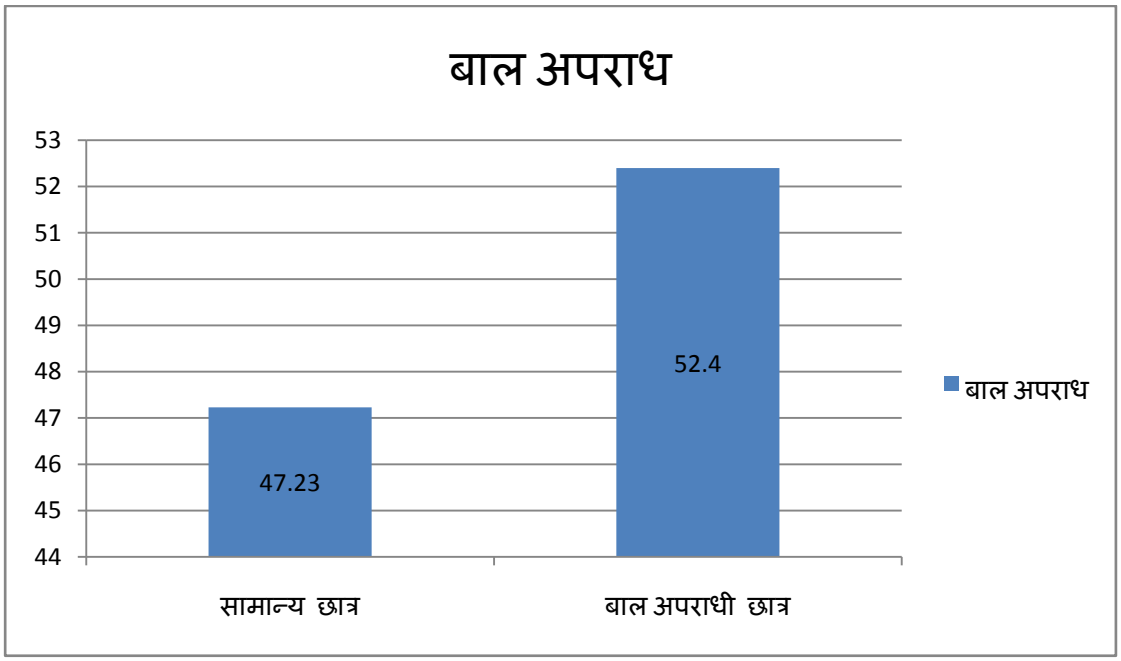

4.1.3 किशोर छात्र छात्राओं में समायोजन के सम्बन्ध में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन

किशोर छात्र–छात्राओं में समायोजन के सन्दर्भ में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करने के लिए अनुपातों की गणना की गई थी। उसी के लिए डेटा को तालिका संख्या 4.1.3 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका संख्या 4.1.3

क्र०सं०	बाल अपराध	छात्राओं की संख्या	मध्यमान	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात	सार्थकता
1.	सामान्य छात्र	100	28.24	2.17	30.16	.01 स्तर पर सार्थक
2.	बाल अपराधी छात्र	100	17.32	1.47		

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका में दिए हुए मध्यमान की ज परीक्षण से तुलना करने पर ज का मान 30.16

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

प्राप्त हुआ जो त्रुटि के 0.01 स्तर पर अपेक्षित 2.62 से अधिक है। दोनों मध्यमान में सार्थक अन्तर है। सामान्य विद्यार्थी का मध्यमान 28.24 तथा बाल अपराधी विद्यार्थी का मध्यमान 17.32 है। अतः ज का प्राप्त मान 0.01 स्तर पर ज के अपेक्षित मान से कहीं अधिक होने के कारण परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

किशोर छात्र–छात्राओं में समायोजन के सम्बन्ध में बाल अपराध की प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन ज्ञात करने वाला ग्राफ 4.1.3

निष्कर्ष यह कि बच्चा चाहे शारीरिक कमजोरी से पीड़ित हो, उसकी बुद्धि कम हो, उसके माता–पिता अपराधी हों, उसका वातावरण खराब हो, उसकी उपलब्धियाँ निम्न स्तर की हों फिर भी वह तब तक अपराधी नहीं बनेगा,जब तक कि वह अपनी स्थिति से असंतुष्ट न हो और असंतोष को दूर करने के उसके समाज स्वीकृत प्रयास असफल न हो चुके हों। अपराध एक प्रकार का आत्मप्रकाशन तथा व्यवहार है। किशोर अवस्था के अपराध भी स्वाभाविक व्यवहार के ढंग हैं केवल उनका परिणाम समाज तथा व्यक्ति के लिए अहितकर होता है। अतः समाज को इस अहितकर स्थिति से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिक की सहायता से अभिभावकों तथा अध्यापकों को यह देखना होगा कि बच्चे अपराधी आचरण की कारणभूत कौन सी असंतोषजनक स्थितियाँ विद्यमान हैं। रोग के कारण को दूर कर दीजिए, रोग दूर हो जाएगा, यह चिकित्सा शास्त्र का सिद्धान्त है। अपराधी व्यवहार भी सामाजिक रोग है। इसके कारण असंतोषजनक स्थिति को दूर करने पर अपराधी व्यवहार स्वयं समाप्त हो जाएगा और अपराधी बालक बड़ा बनकर समाज का योग्य सदस्य तथा देश का उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1.	अग्रवाल, जे०सी०	:	एजुकेशनल रिसर्च, आर्य बुक डिपो, करौलबाग, नई दिल्ली, 1998

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021

2.	गर्वनमेन्ट ऑफ इण्डिया	:	नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हूसैन रिसोर्सइस इवैलपमेन्ट, न्यू दिल्ली–1986
3.	अग्रवाल, निधि	:	मेंटल मीजरमेन्ट एण्ड इवैल्यूएशन, सूर्या प्रकाशन, मेरठ, 2006
4.	अदावत, एस०बी०	:	'दि थर्ड इण्डियन ईयन बुक ऑफ एजुकेशन' (एजुकेशन रिसर्च), एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली, 1965
5.	आनन्द, सी०एल०	:	ए स्टडी ऑफ दा इफैक्ट ऑफ सोशियो– इकोनोमिक एनवायरमैन्ट एण्ड मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्सन दी मेंटल एबिलिटीज एंड एकेडमिक अचीवमैंट ऑफ चिल्ड्रन इन मैसूर स्टेट, (पी०एच०डी० एजुकेशन, मैसूर यूनिवर्सिटी), (1973),
6.	आर्य, मनोज कुमार	:	अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, पायनियर पब्लिकेशन, बिजनौर, 2007
7.	इण्डिया, मिनिस्ट्री	:	नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1968
8.	इण्डिया, मिनिस्ट्री	:	नैशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन–1992 नई दिल्ली, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1992
9.	उपाध्याय, मृत्युंजय	:	स्कूली छात्रों में सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा, अध्यापक साथी, एन०सी०टी०ई० अंक–1, नई दिल्ली, 4 नवम्बर 2005
10.	एबेल, आर०एल०	:	इन्साइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च, फोर्थ एडिशन, 1969
11.	ऐंग्लहर्ट, मेक्स डी०	:	मेथड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, चिकागो, रन्द मैक नेल्ले एण्ड कम्पनी, 1972
12.	कपिल एच०के०	:	सांख्यिकी के मूल तत्व, विनोद प्रकाशन मन्दिर, आगरा, 1980
13.	कपूर, एस०	:	कम्यूनिटी डवलपमेन्ट इन इण्डिया, जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च (2–3), अगस्त–सितम्बर 1976
14.	कामत, एम०आर०	:	एजुकेशन एण्ड रूरल डवलपमेन्ट मैनस्ट्रीम, 20 (52) अगस्त 1982
15.	कीस्लिग	:	इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन, डाइटन एल०सी०, मैकमिलन कं० एण्ड फ्री प्रेस, (वोल्यूम–11), 1979,
16.	क्रेग रॉबर्ट,एस०	:	'चेन्ज इज सेल्फ–कॉन्सैप्ट एण्ड एकेडमिक एचीवमेन्ट ऑफ इन्स्टीट्यूश्नलाइज्ड डेलीक्वेन्ट ब्वॉयज इन ए डिफरेन्सियल ट्रीटमेन्ट प्रोग्राम, डिस० एब्स० इन्टरनेशनल, वोल्यूम 36 नं० 9, पेज 5933–ए, 1976,

© 2021 by The Author(s). ISSN: 1307-1637 International journal of economic perspectives is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Submitted: 27 Oct 2021, Revised: 09Nov 2021, Accepted: 18 Nov 2021, Published 30 Nov 2021